



Returning Officer,
22-Gharaunda Assembly Constituency-cum-
Sub Divisional Officer (C), Gharaunda

Ph. No. 01748-250200, E-mail address-sdm.gharaunda-hry@gov.in

सेवा में

श्री वरिन्द्र सिंह राठौर,
उम्मीदवार इंडियन नैशनल काँग्रेस,
22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ।

क्रमांक: 1043

दिनांक 29.10.2024

विषय:-

Request for Recounting of VVPAT Slips in Gharaunda
Constituency-

.....

उपर्युक्त विषय बारे ई-मेल द्वारा आप से प्राप्त शिकायत दिनांक
09.10.2024 के संदर्भ में।

इस शिकायत में हरियाणा विधानसभा के साधारण निर्वाचन-2024 में
22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना के संबंध में मुख्यतया निम्न आरोप
लगाए गए हैं:-

- (i) Discrepancies in EVM Numbers.
- (ii) Battery level of many EVMs around 99%.

1. विदित हो कि निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया साधारण निर्वाचन से लगभग छह माह
पूर्व प्रारंभ हो जाती है । सर्व प्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच
(FLC) की जाती है । इस प्रकार अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन संपन्न होने तक निरंतर चुनाव
सम्बन्धी कार्यों में कार्यरत रहते हैं । यह कहना अनुचित नहीं है कि एक रिटर्निंग
अधिकारी आयोग के दिशानिर्देशों के अंतर्गत तथा बनाए गए मानकों के अनुरूप निरंतर
तथा अथक रूप से कार्यरत रहता है । सभी प्रक्रियाओं के दौरान रिटर्निंग अधिकारी का
उपस्थित रहना ना केवल अनिवार्य है अपितु यह प्रक्रिया को दुरुस्त भी बनाता है ।
अधोहस्ताक्षरी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से अपनी पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण से

निर्वाचन कार्य को इसके विभिन्न सोपानो से गुजारते हुए निष्पादित किया गया है। परन्तु आप द्वारा चुनाव प्रक्रिया की शुचिता व पारदर्शिता पर उठाये गए सवाल आहत करने वाले और मनोबल को टेस पहुंचाने वाले है। तथापि आपके द्वारा दी गई शिकायत के संदर्भ में यह प्रति उत्तर दिया जाता है।

Issue regarding Discrepancies in EVM Numbers:

2. आयोग द्वारा अपने विभिन्न अनुदेशों/दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रशासनिक संरक्षोपायों के साथ प्रौद्योगिकीय सुरक्षात्मक विशेषताएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को, कोई भी गुंजाइश न छोड़ते हुए पूरी तरह से हेर-फेर से मुक्त बनाती हैं। आयोग ने चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की हैंडलिंग के प्रत्येक पहलू के लिए चेक लिस्ट तैयार की है, जिसमें विनिर्माता से मशीनों के परिवहन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का भंडारण शामिल है। इसके अलावा, चुनाव के विभिन्न चरणों में किसी भी संभावितता का निराकरण करने के लिए क्या करें और क्या न करें भी निर्दिष्ट किए गए हैं।

3. चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हैंडल करने के लिए सुरक्षात्मक उपायों और प्रक्रियात्मक नियंत्रण एवं संतुलन की एक विस्तृत एवं सख्त प्रशासनिक व्यवस्था लागू की है, जिसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के संभव दुरुपयोग या किसी भी अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच या किसी भी अवांछित प्रक्रियात्मक चूक को रोकना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को मतदान से पहले, मतदान के दौरान या मतदान के बाद या भंडारण/परिवहन के दौरान किसी भी तरह की हेर-फेर/जोड़-तोड़ से सुरक्षित रखा जाता है। आयोग द्वारा ये सुरक्षोपाय प्रत्येक चरण पर राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों की सक्रिय और अच्छी तरह से दस्तावेजीकृत सहभागिता के साथ पारदर्शी ढंग से लागू किए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की क्षमता और विश्वसनीयता के प्रति उनका विश्वास कायम किया जा सके। ये सभी प्रकार्य और प्रक्रियाएं आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारियों या वरिष्ठ जिला अधिकारियों के स्तर पर क्रियान्वित किए जाते हैं, जिसके बारे में आप भली-भांति अवगत हैं। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के एजेंटों की भागीदारी की प्रणाली इतनी सशक्त है कि ईवीएम मशीनों में कोई भी बदलाव या एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका स्थानांतरण राजनीतिक प्रतिनिधियों की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। इस प्रक्रिया के प्रमुख बिंदु दोबारा आपकी जानकारी के लिए नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

4 प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी)

4.1. पत्र सं. 51/8/16/9/2017-ईएमएस (पीएंडएल) दिनांक 09.11.2017 जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैनुअल (अगस्त, 2023) में आगे और अपडेट किया गया है, में समाविष्ट आयोग के अनुदेशों के अनुसार, राज्य में प्रत्येक चुनाव से पहले ईवीएम के दोनों भागों और वीवीपैट की गहनता पूर्वक प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की जाती है। एफएलसी का उद्देश्य चुनावों में प्रयुक्त की जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट की प्रामाणिकता और उपयुक्तता सुनिश्चित करना है। प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) की निगरानी में पूरी तरह से बंद और निरापद क्षेत्र में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विनिर्माण कंपनी के इंजीनियरों द्वारा की जाती है। डीईओ द्वारा एफएलसी का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाता है और उसे कार्यक्रम के शुरू होने से पहले जिला स्तर पर प्रत्येक मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल के साथ उपयुक्त पावती के अधीन लिखित रूप में साझा किया जाता है और उसकी प्रति दल के राज्य मुख्यालयों को पृष्ठांकित की जाती है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से एफएलसी के दौरान उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाता है। एफएलसी में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए एक रजिस्टर बनाए रखा जाता है।

4.2 प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) प्रत्येक बीयू, सीयू और वीवीपैट का एक नैदानिक परीक्षण है जो मशीनों की पूर्ण प्रकार्यात्मकता की जांच करने के लिए विनिर्माता द्वारा विहित किया गया है। जांच के उपरांत, विनिर्माता इस बात का उचित प्रमाण पत्र देते हैं कि ईवीएम के सभी संघटक (Parts) औरिजनल हैं।

4.3. एफएलसी बीईएल/ईसीआईएल द्वारा यथा-उपबंधित विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार चौबीसों घंटे पूरी सुरक्षा के साथ सशस्त्र पुलिस बलों की मौजूदगी में एक बड़े हॉल में 24X7 सीसीटीवी कवरेज के साथ की जाती है जहां प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार पर परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उचित रिकार्ड रखने के लिए लॉग बुक रखा रखा जाता है। सम्पूर्ण एफएलसी प्रक्रिया का अनुवीक्षण डीईओ और सीईओ स्तर पर नियंत्रण कक्षों (स्ट्रांग रूम) में वेबकास्टिंग के माध्यम से किया जाता है और उसकी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाती है।

4.4. एफएलसी के प्रत्येक चरण में राजनीतिक दलों को उनकी पूर्ण संतुष्टि के साथ सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। उन्हें Randomly किसी भी मशीन को चुनने और स्वयं मोक पोल करने की अनुमति दी जाती है।

4.5. एफएलसी के बाद मशीनों को पिंक पेपर सील से सीलबंद किया जाता है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी पिंक पेपर सील पर हस्ताक्षर करते हैं।

4.6. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 22-घरौण्डा के लिए एफएलसी, जिला मुख्यालय में 01.08.2024 से 15.08.2024 तक संचालित किया गया था। उक्त संबंध में सूचना दिनांक 29.07.2024 के पत्र द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, करनाल द्वारा सभी मान्यता प्राप्त दलों को दी गई थी, जिसकी पावती इंडियन नेशनल कॉंग्रेस द्वारा भी दी गई थी। एफएलसी प्रक्रिया में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने रोजाना एफएलसी में भाग लिया था, जैसे:-

1. श्री राजेन्द्र कुमार, प्रतिनिधि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
2. श्री दीपक कुमार, प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी
3. श्री धर्मबीर पाठा, प्रतिनिधि जननायक जनता पार्टी
4. श्री हरबंस सिंह, प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी

5. एफएलसी के बाद भंडारण:

5.1 आयोग ने स्ट्रांग रूम में “एफएलसी ओके ईवीएम” के भंडारण के लिए और वहां चौबीसो घंटे सुरक्षा के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। स्ट्रांग रूम में 24X7 सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस बल का कम से कम एक सेक्शन तैनात किया जाता है।

5.2 ऐसे स्ट्रांग रूम और गलियारों के प्रवेश बिंदु पर डीवीआर युक्त 24X7 सीसीटीवी कवरेज होता है।

5.3 प्रवेश बिंदु पर तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा लॉग बुक बनाकर रखी जाता है।

5.4 जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), पुलिस अधीक्षक (एसपी), और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम का दौरा कर सही प्रकार से सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

5.5 यह व्यवस्था उस समय तक जारी रहती है जब तक कि चुनाव की तैयारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रथम Randomization नहीं कर लिया जाए।

5.6 राजनीतिक दलों को "एफएलसी-ओके ईवीएम" के भंडारण और उनकी सुरक्षा के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाता है।

5.7 करनाल जिले में, "एफएलसी-ओके ईवीएम" के लिए स्ट्रॉंग रूम नई अनाज मण्डी, करनाल में बने वेयर हाउस में स्थापित किया गया था।

6. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का **Randomization**:

6.1 भंडार में रखी गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ईवीएम प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के जरिए दो बार Randomization की जाती हैं। यह ऐप भारत निर्वाचन आयोग की आईटी टीम द्वारा विकसित किया गया है।

6.2 प्रथम Randomization—

(i) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रथम Randomization से पहले 10% मशीनें प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के लिए निशान - ईवीएम में "प्रशिक्षण और जागरूकता" के साथ अलग रखी जाती हैं। फिर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रथम Randomization के लिए एक कार्यक्रम तय करते हैं और राज्य के सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को लिखित रूप में निमंत्रण भेजते हैं।

(ii) डीईओ द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों/खंडों में Randomized रूप से मशीनें आबंटित करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईएमएस के माध्यम से प्रथम Randomization किया जाता है।

(iii) Randomized इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सूची राजनीतिक दलों को दी जाती है और उनसे लिखित रूप में पावती ली जाती है।

(iv) जिला करनाल में, प्रथम Randomization 02.09.2024 को आयोजित किया गया और मेरे निर्वाचन क्षेत्र 22-घरौण्डा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आबंटित मशीनें अधोहस्ताक्षरी द्वारा 05.09.2024 को प्राप्त की गई थीं।

(v) 22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आबंटित ईवीएम डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, करनाल में पृथक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्ट्रॉंग रूम में स्टोर किया गया था।

(vi) भंडारण की सम्पूर्ण प्रक्रिया वीडियोग्राफी के अधीन पूरी की गई थी।

(vii) जैसा कि आयोग के अनुदेशों में विहित किया गया है, सुरक्षा और सीसीटीवी कवरेज के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई थीं।

6.3. द्वितीय Randomization—

(i) उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा द्वितीय Randomization ईवीएम के माध्यम से किया जाता है।

(ii) यह Randomization मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और आयोग के प्रेक्षकों, जो अन्य राज्यों के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं, की उपस्थिति में किया जाता है।

(iii) राजनैतिक दलों को द्वितीय Randomization के कार्यक्रम की सूचना, लिखित रूप में दी जाती है।

(iv) मैंने राजनैतिक दलों और श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस (ऑब्जर्वर) की उपस्थिति में दिनांक 24.09.2024 को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वितीय Randomization का संचालन किया। इस दौरान अन्य प्रतिनिधियों के साथ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र सिंह मौजूद रहे।

7. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को चालू करना (कमीशनिंग)—

7.1 उम्मीदवारियां वापस लेने के पश्चात, रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को चालू करने और उनमें उम्मीदवारों को सेट करने का कार्यक्रम तैयार करते हैं।

7.2 सभी उम्मीदवारों को कार्यक्रम की सूचना दी जाती है जिसमें उनसे मशीनों को चालू करने की प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

7.3 उम्मीदवारों से मोक पोल प्रक्रिया में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है। मोक पोल की प्रक्रिया के दौरान भी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र सिंह मौजूद रहे।

7.4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मशीनों को चालू करने का कार्य पूर्ण सुरक्षा कवरेज और 24X7 सीसीटीवी कवरेज में सुरक्षित परिवेश में एक पृथक हॉल में किया जाता है।

7.5 कमीशनिंग के कार्य का संचालन सहायक रिटर्निंग अधिकारियों (एआरओ) और आरओ द्वारा तैनात किए गए अन्य अधिकारियों द्वारा बीईएल/ईसीआईएल की तकनीकी टीम की सहायता से हॉल में मौजूद आरओ, आयोग के ऑब्जर्वर और सभी उम्मीदवारों/एजेन्टों की उपस्थिति में किया जाता है।

7.6 इस प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, लोड किए जा रहे प्रतीकों को प्रदर्शित करने के लिए उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों के लिए प्रत्येक सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) के साथ अलग से टीवी मॉनिटर संस्थापित किए जाते हैं।

7.7 इस समय, विनिर्माण कंपनी के इंजीनियर फिर से मशीन के हरेक कल-पुरजे की जांच करते हैं और उसे उम्मीदवारों को दिखाने के बाद रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) को प्रमाणपत्र देते हैं।

7.8 पहले, बैलेट यूनिट (बीयू) तैयार और सीलबंद किया जाता है, तब वीवीपैट यूनिट तैयार किया जाता है। एक नया पावर पैक (बैटरी) और नया पेपर रोल संस्थापित किया जाता है। वीवीपैट कम्पार्टमेंट को सील बंद करने के पश्चात, कंट्रोल यूनिट (सीयू) तैयार किया जाता है और उसमें उम्मीदवारों को सेट किया जाता है। सीयू में एक बिलकुल नया पावर पैक संस्थापित किया जाता है।

7.9 सभी तीनों (3) यूनिटों को तैयार करने एवं पुरानी प्रयुक्त की गई बैटरी को बिलकुल नई बैटरी से प्रतिस्थापित करने के बाद सीयू, बीयू और वीवीपैट के केबलों को जोड़ा जाता है और इस बात की जांच करने के लिए कि ईवीएम और वीवीपैट ठीक तरीके से काम कर रही हैं या नहीं, मोक पोल किया जाता है।

7.10 संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, मशीन को बंद कर दिया जाता है, वीवीपैट तथा सीयू को सीलबंद कर दिया जाता है। वीवीपैट और सीयू के बैटरी सेक्शनों को भी थ्रेड सील और एड्रेस टैग का इस्तेमाल करके सीलबंद कर दिया जाता है।

7.11 ईवीएम और वीवीपैट की सभी मुहरों (सील) पर रिटर्निंग अधिकारी और उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों/एजेंटों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

7.12 कमीशनिंग के बाद मशीनें आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सभी प्रोटोकॉल के साथ पुनः स्ट्रांग रूम में स्टोर की गई थीं।

li

7.13 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 22-घरौण्डा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कमीशनिंग और भंडारण 25.09.2024 को डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, करनाल में श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस (ऑब्जर्वर) और इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी आदि के उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया था।

8. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रेषण (Dispersal):

8.1 आयोग के अनुदेशों में यह भी उपबंध किया गया है कि पोलिंग टीमों की रवानगी के समय रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारों को स्ट्रांग रूम खोलने की तारीख और समय की सूचना लिखित रूप में देंगे।

8.2 रिटर्निंग अधिकारी की मौजूदगी में, आयोग के ऑब्जर्वर और उम्मीदवार/उनके एजेंट, पोलिंग टीमों के पीठासीन अधिकारी इस बात की पूरी तरह जांच करते हैं कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट विधिवत रूप से सीलबंद किए गए हैं और उनकी मुहर (सील) और पता टैग अक्षत हैं और बैटरियां संस्थापित की गई हैं।

8.3 उम्मीदवार, सुरक्षा कार्मियों के साथ पोलिंग पार्टियों की रवानगी देखते हैं।

8.4 यदि पोलिंग पार्टियां मतदान से पहले या मतदान के बाद किसी मध्यवर्ती स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ ठहरते हैं, तो मध्यवर्ती ईवीएम स्ट्रांग रूम के लिए एक उपयुक्त सरकारी भवन नामोद्दिष्ट किया जाता है।

8.5 मध्यवर्ती ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, उसे खोलने या बंद करने के लिए उसी मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन किया जाता है जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मुख्यालयों में नियमित स्ट्रांग रूम के मामले में लागू है।

8.6 ईवीएम नियंत्रण कक्ष द्वारा पोलिंग टीमों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ढोने वाले वाहनों की आवाजाही (मूवमेंट) का अनुवीक्षण जीपीएस और मोबाइल आधारित ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए राज्य के डीईओ और सीईओ के स्तरों पर किया जाता है।

8.7 डीईओ सभी अभ्यर्थियों और प्रेक्षकों को संबंधित सेक्टर अधिकारियों के विवरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ढोने वाले सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबरों और विवरण की अधिसूचना देते हैं।

8.8 आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त निर्वाचन क्षेत्र के ऑब्जर्वर इस संबंध में आयोग द्वारा जारी किये गए अनुदेशों के कड़ाई से अनुपालना की निगरानी करते हैं।

9. मतदान दिवस की व्यवस्थाएं:-

9.1 आयोग ने अपने अनुदेश सं. 51/8/अनु./2023-ईएमएस, दिनांक 16.10.2023 के जरिए मतदान के दिन मतदान केंद्र पर ईवीएम हैंडलिंग और पीठासीन अधिकारी और पोलिंग पदधारियों द्वारा किए जाने वाले संरक्षोपायों की एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है।

9.2 वास्तविक मतदान आरंभ होने से पूर्व, आयोग के अनुदेश सं. 51/8/7/2019-ईएमएस, दिनांक 30.09.2019 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों के मौजूद पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा मोक पोल संचालित किया जाता है।

9.3 मोक पोल में यह सुनिश्चित करते हुए कम से कम 50 वोट डाले जाते हैं कि नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए वोट दर्ज हो जाएं।

9.4 मोक पोल के परिणामों को सुनिश्चित करने के बाद, वीवीपैट पर्चियां निकाली जाती हैं और मोक पोल के आंकड़ों को हटा दिया जाता है और कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को फिर से विधिवत रूप से सीलबंद कर दिया जाता है।

9.5 मोक पोल की पूरी प्रक्रिया पोलिंग एजेंटों को दिखाई जाती है और उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। उन्हें पेपर सीलों और थ्रेड सीलों पर भी हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाती है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मोक पोल की तारीख और समय के साथ एक मोक पोल प्रमाण पत्र भी दिया जाता है।

9.6 पीठासीन अधिकारी मोक पोल प्रमाण पत्र और पीठासीन अधिकारियों की डायरी में वास्तविक मतदान आरंभ होने की तारीख और समय भी नोट करते हैं।

9.7 आयोग ने वास्तविक मतदान के दौरान आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए पोलिंग पदधारियों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

9.8 कंट्रोल यूनिट में "अल्प बैटरी" के संकेत की दशा में, कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट का पावर पैक, जो भी मामला हो, आयोग की पत्र सं. 51/8/7/2020-ईएमएस, दिनांक 25.08.2020 में समाविष्ट निर्देशों के अनुसार तत्काल बदले जाने होते हैं।

9.9 उनकी सहायता के लिए, विनिर्माण कंपनी के इंजीनियर के साथ सेक्टर अधिकारी फील्ड में उपलब्ध रहते हैं।

9.10 सेक्टर अधिकारी को आरक्षित मशीनें आबंटित की जाती हैं और जहां भी जरूरत होती है, मशीनें बदल दी जाती हैं।

9.11 यदि किसी मशीन को बदला जाता है, तो मोक पोल और सीलबंद करने की संपूर्ण प्रक्रिया नई मशीन पर दोहराई जाती है। पोलिंग एजेंटों को मुहरों (सील) पर अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाती है।

9.12 मतदान की समाप्ति के बाद, पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट का 'क्लोज' बटन दबाकर मशीन को बंद कर देता है। वह फॉर्म 17ग में ईवीएम में दर्ज वोटों की कुल संख्या और पीठासीन अधिकारी की डायरी में मतदान की समाप्ति की तारीख और समय नोट करता है।

9.13 फॉर्म 17ग में दर्ज विवरण मतदान की समाप्ति के समय पर मौजूद पोलिंग एजेंटों के साथ साझा किए जाते हैं।

9.14 तब पीठासीन अधिकारी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को वियोजित (डिस्कनेक्ट) कर देता है और बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को खोल (कैरिडिंग केस) में डाल देता है।

9.15 पीठासीन अधिकारी वीवीपैट का पावर पैक (बैटरी) निकालता है और फिर मतदान केंद्र में मौजूद पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में ईवीएम और वीवीपैट को सीलबंद कर देता है।

9.16 पीठासीन अधिकारी एड्रेस टैग पर अपना हस्ताक्षर करता है और उस पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर कराता है।

9.17 मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें सशस्त्र पुलिस बल की सुरक्षा में संग्रहण केंद्र (कलेक्शन सेंटर) तक ले जाई जाती हैं।

10. मतयुक्त ईवीएम का भंडारण:-

10.1 मतयुक्त ईवीएम और आरक्षित नाकाम ईवीएम के भंडारण के लिए, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पहले से ही पृथक स्ट्रांग रूम नामोद्दिष्ट किए जाते हैं।

10.2 मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपयुक्त वीडियोग्राफी के तहत अभ्यर्थियों और उनके एजेंटों को पूर्व में सूचना देकर आयोग के पत्र सं. 464/स्ट्रांग रूम/2023-ईपीएस,

दिनांक 18.07.2023 में समाविष्ट अनुदेशों के अनुसार, सुरक्षित भंडारण के लिए जमा कर दी जाती हैं।

10.3 मतयुक्त ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम में, संबंधित वर्गों/रैंकों में खास-खास मतदान केंद्रों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का ढेर लगाने के लिए फ्लोर स्पेस नामोदिष्ट किया जाता है।

10.4 आयोग ने मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के भंडारण के लिए सख्त सुरक्षात्मक एवं संरक्षात्मक उपाय निर्धारित किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

- (i) बिना किसी खिड़की या वैकल्पिक दरवाजे के स्ट्रांग रूम में प्रवेश का एकमात्र रास्ता।
- (ii) स्ट्रांग रूम, जहां मतयुक्त ईवीएम रखी जाती हैं, में डबल लॉक सिस्टम होता है। लॉक-1 की चाबियां रिटर्निंग अधिकारी के पास रहती हैं जबकि लॉक-2 की चाबियां सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास रहती हैं।
- (iii) द्विस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहती है जिसमें सबसे भीतरी परिधि सीएपीएफ कवरेज के अधीन और बाह्य परिधि राज्य सशस्त्र पुलिस बल के अधीन रहती है।
- (iv) स्ट्रांग रूम की संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए डीवीआर सहित सीसीटीवी कैमरे और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।
- (v) प्रत्येक प्रवेश, निकास के लिए और सुरक्षा कर्मियों के ड्यूटी रोस्टर के लिए सीएपीएफ द्वारा उचित उपयुक्त लॉग बुक बनाए रखा जाता है। आंतरिक परिधि को पार करने वाले व्यक्ति की तिथि, समय, अवधि और नाम लॉग बुक में दर्ज प्रविष्ट किए जाते हैं और प्रत्येक मामले में हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इसमें प्रेक्षक या जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) या पुलिस अधीक्षक (एसपी) या उम्मीदवार या उनके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति के दौरे (विजिट) शामिल हैं।
- (vi) कोई भी वाहन, जिसमें किसी भी पदधारी या मंत्री या किसी अन्य राजनीतिक पदाधिकारी के वाहन शामिल हैं, को उस सुरक्षित परिसर के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं है जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और वीवीपैट तथा चुनावी कागजात निर्वाचन पत्र स्टोर किए गए हैं।

(vii) उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को खोलते और बंद करते समय प्रवेश बिंदु की निरंतर वीडियोग्राफी की जाती है।

(viii) उम्मीदवार आंतरिक परिधि के बाहर से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते रहने के लिए अपने लोगों को तैनात कर सकते हैं।

10.5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 22-घरैण्डा की मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सामान्य ऑब्जर्वर श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस और निम्नलिखित दलों के अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 06.10.2024 को 12:28 AM पर डी.ए.वी.(पी.जी.) कॉलेज, करनाल के स्ट्रांग रूम में स्टोर की गई थी:

i- श्री वरिन्द्र सिंह राठोर, उम्मीदवार इंडियन नेशनल कॉंग्रेस

ii- श्री राजेन्द्र कुमार, एजेन्ट इंडियन नेशनल कॉंग्रेस

iii- श्री दलीप शर्मा, प्रतिनिधि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस

प्रक्रिया की विधिवत वीडियोग्राफी की गई और लॉग बुक में उम्मीदवारों/उनके एजेंटों के हस्ताक्षर भी लिए गए थे। उन्हें स्ट्रांग रूम में सुरक्षा देखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को तैनात करने की अनुमति दी गई थी।

11. फॉर्म 17ए और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा—

11.1 फॉर्म 17ए और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा के लिए नियत दिन पर, जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी, ऑब्जर्वर और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन एजेंटों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचन प्रपत्र स्ट्रांग रूम वीडियोग्राफी के अधीन खोला जाता है।

11.2 फॉर्म 17ए की संवीक्षा के लिए अपेक्षित संगत कागजात, यदि ढोए जाने अपेक्षित हों, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के साथ समुचित पुलिस अनुरक्षण के अंतर्गत ढोए जाते हैं। उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को, ऐसे कागजात को ढोकर ले जाने वाले वाहन का अनुगमन करने की भी अनुमति दी जाती है।

11.3 यात्रा योजना (ट्रैवल प्लान) के बारे में उम्मीदवारों/उनके चुनाव एजेंटों या उनके प्रतिनिधियों को समुचित जानकारी दी जाती है।

11.4 फॉर्म 17क और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा पूरी होने के बाद, उन्हें उनके संबंधित पैकेटों में फिर से पैक किया जाता है और लॉग-बुक में प्रविष्टि करने तथा उस समय उपस्थित सभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों, ऑब्जर्वर और रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर लेने के बाद स्ट्रांग रूम को बंद और सीलबंद कर दिया जाता है।

11.5 फॉर्म 17क और अन्य दस्तावेजों वाले स्ट्रांग रूम को खोलने और बंद करने की संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत रूप से वीडियोग्राफी की जाती है।

11.6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 22-घरौण्डा में संवीक्षा की प्रक्रिया (Scrutiny) 06.10.2024 को प्रातः 11:00 बजे लाईब्रेरी हॉल डी.ए.वी (पी.जी) कॉलेज, करनाल में श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस ऑब्जर्वर और निम्नलिखित राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई थी -

- i- श्री राजेन्द्र सिंह, एजेन्ट, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
- ii- श्री अमन जोशी, प्रतिनिधि, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
- iii- श्री नरेश शर्मा, प्रतिनिधि, आम आदमी पार्टी
- iv- श्री प्रदीप कश्यप उपली, निर्दलीय उम्मीदवार

12. मतों की गिनती:

12.1 मतगणना के दिन, मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाले स्ट्रांग रूम डी.ए.वी. (पी.जी) कॉलेज, करनाल को उम्मीदवारों/उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, भारत निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस व आरओ/एआरओ की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के अधीन खोला गया।

12.2 मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को स्ट्रांग रूम डी.ए.वी. (पी.जी) कॉलेज, करनाल से मतगणना हॉल तक ले जाने की तैयारी मोर्चाबंद रास्ते/निरापद रास्ते से सुरक्षित तरीके से की जाती है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि दो स्ट्रांग रूमों की मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आवाजाही (मूवमेंट) का रास्ता एक-दूसरे से न टकराए। मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आवाजाही (मूवमेंट) की वीडियोग्राफी भी की जाती है।

12.3 मतगणना हॉल में केवल कंट्रोल यूनिट (सीयू) ही लाई जाती है।

12.4 कंट्रोल यूनिट (सीयू) को चालू करने से पहले, उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों की उपस्थिति में मतगणना स्टाफ द्वारा सील की गहन जांच की जाती है।

12.5 कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों का मिलान फॉर्म 17ग में उल्लिखित मतों की कुल संख्या से किया जाता है, जिसे पहले ही मतदान केंद्रों पर उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों के साथ साझा किया गया था।

12.6 कंट्रोल यूनिट पर मतदान का प्रारंभ समय एवं तारीख और मतदान की समाप्ति समय और तारीख सत्यापित की जाती है और पोलिंग एजेंटों को दिखाई जाती है।

12.7 मतगणना एजेंट फॉर्म 17ग में हस्ताक्षर करके प्रमाणित करते हैं कि कंट्रोल यूनिट वही है जिसका उपयोग उसी मतदान केंद्र में किया गया था।

12.8 आयोग ने पोलिंग स्टाफ द्वारा प्रक्रियात्मक चूक करने या मतदान की तारीख और समय के विवरण में असंगति के मामले में उत्पन्न होने वाली विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए स्पष्ट अनुदेश दिए हैं।

12.9 प्रत्येक चक्र की मतगणना पूरी होने पर, रिटर्निंग अधिकारी उस चक्र के परिणाम की घोषणा करते हैं। इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनों में मतों की गणना के आखिरी चक्र के अंत में, रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 5 Randomly चयनित मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों का अधिदेशात्मक सत्यापन करते हैं।

12.10 इन 5 इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनों का Randomly चयन आयोग द्वारा अपने अनुदेश सं. 51/8/वीवीपैट-अनु./2019-ईएमपीएस, दिनांक 15.04.2019 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरओ द्वारा चिष्टी डालने (ड्रॉ ऑफ लॉट) के माध्यम से किया जाता है।

12.11 उम्मीदवारों को चिष्टी डालने (ड्रॉ ऑफ लॉट) के संबंध में पहले से लिखित सूचना दी जाती है।

12.12 यदि ईवीएम में दर्ज मतों और वीवीपैट पेपर पर्ची गणना के बीच कोई असंगति होती है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 56(घ)(4)(ख) के अनुसार वीवीपैट पेपर पर्ची मान्य होगी।

12.13 ईवीएम मतगणना और अधिदेशात्मक वीवीपैट पेपर पर्ची गणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है।

12.14 मतगणना के शुरू होने से लेकर परिणाम घोषित किए जाने तक आयोग के प्रेक्षक मौजूद बने रहते हैं।

12.15 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 22—घरौण्डा की मतगणना लाईब्रेरी हॉल डी.ए.वी. (पी.जी) कॉलेज, करनाल मे दिनांक 08.10.2024 को आयोग के ऑब्जर्वर श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस. और उम्मीदवार/उनके मतगणना एजेंट की उपस्थिति में संपन्न हुई।

13. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार/उनके एजेंट चुनाव की विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल रहे हैं। आयोग के प्रत्येक दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया एवं समय-समय पर आपको इन प्रक्रियाओं के बारे में समय से सूचित भी किया गया। आप सभी उम्मीदवार/प्रतिनिधि विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल रहे थे तथा चुनाव के विभिन्न सोपानों का उनके समक्ष कार्यान्वयन किया गया है जिनका पुनः विवरण निम्नवत है:-

i- एफएलसी का कार्यक्रम जिला करनाल के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पत्र सं निर्वाचन-2024/1562 दिनांक 29.07.2024 के जरिए आईएनसी सहित सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के साथ लिखित रूप में यह अनुरोध करते हुए साझा किया गया था कि इस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने के लिए प्रतिनिधियों को भेजें। जिला करनाल में आईएनसी कार्यालय द्वारा कार्यक्रम प्राप्त होने की विधिवत पावती संदर्भ सं 01 दिनांक 30.07.2024 के जरिए दी गई थी। (Annexure-I)

ii- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की एफएलसी जिला करनाल में दिनांक 01.08.2024 को नई अनाज मण्डी, करनाल मे बने वेयर हाउस मे आयोजित की गई थी और इस प्रक्रिया के दौरान दिनांक 01.08.2024 से 15.08.2024 तक आईएनसी के प्रतिनिधि सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

iii- एफएलसी हॉल में डीईओ द्वारा बनाए रखे गए लॉग रजिस्टर में दिनांक 01.08.2024 से 15.08.2024 तक आईएनसी प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र सिंह की उपस्थिति के बारे में विवरण है (Annexure-I)। यह प्रक्रिया सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों की संतुष्टि के साथ पूरी हुई और आईएनसी सहित किसी के भी द्वारा कोई आपत्ति/मुद्दा नहीं उठाया गया था।

iv- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रथम Randomization का कार्यक्रम जिला करनाल के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पत्र सं. निर्वाचन-2024/1812 दिनांक 30.08.2024 के

जरिए आईएनसी सहित सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के साथ लिखित रूप में यह अनुरोध करते हुए साझा किया गया था कि इस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने के लिए प्रतिनिधियों को भेजें। जिला करनाल में आईएनसी कार्यालय द्वारा कार्यक्रम प्राप्त होने की विधिवत पावती संदर्भ सं 01 दिनांक 30.08.2024 के जरिए दी गई थी। (Annexure-II)

v- प्रथम Randomization प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलो के कुल 5 प्रतिनिधि उपस्थित थे। यह प्रक्रिया सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों की संतुष्टि के साथ पूरी हुई और आईएनसी सहित किसी के भी द्वारा कोई आपत्ति/मुद्दा नहीं उठाया गया था।

vi- प्रथम Randomization के बाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें विभिन्न राजनैतिक दलो के कुल 5 की उपस्थिति में दिनांक 02.09.2024 को स्ट्रॉंग रूम में स्टोर की गई थीं।

vii- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वितीय Randomization का कार्यक्रम उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, करनाल के पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/2081 दिनांक 20.09.2024 (Annexure-III) व 22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरओ होने के नाते अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र सं 431 दिनांक 21.09.2024 के जरिए आप सहित चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के साथ लिखित रूप में यह अनुरोध करते हुए साझा किया गया था कि द्वितीय Randomization की प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहें। (Annexure-IV)

viii- द्वितीय Randomization की प्रक्रिया के दौरान आपके एजेन्ट/प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित थे। यह प्रक्रिया सभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की संतुष्टि के साथ पूरी हुई और किसी के भी द्वारा कोई आपत्ति/मुद्दा नहीं उठाया गया था। (Annexure-V)

ix- द्वितीय Randomization के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आपके एजेन्ट/प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र सिंह मे की उपस्थिति में दिनांक 25.09.2024 को स्ट्रॉंग रूम में स्टोर की गई थीं। इस प्रक्रिया के दौरान सामान्य. ऑब्जर्वर श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस, 2006 संवर्ग/बैच भी उपस्थित थे। (Annexure-VI & VII)

X- पुनः, 22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को कमीशनिंग का कार्य 25.09.2024 को लाईब्रेरी हॉल डी.ए.वी (पी.जी.) कॉलेज, करनाल मे किया गया था। मेरे द्वारा इसका कार्यक्रम पत्र सं. 610 दिनांक 24.09.2024 के जरिए

आईएनसी सहित सभी उम्मीदवारों के साथ लिखित रूप में यह अनुरोध करते हुए साझा किया गया था कि आप स्वयं या आपका प्रतिनिधि उक्त कार्यक्रम का निरीक्षण करें और मोक पोल में भाग लें। (Annexure-VIII)

Xi- कमीशनिंग प्रक्रिया के दौरान, रोजाना आपके प्रतिनिधि श्री गौरव पंवार व श्री जितेन्द्र सिंह उपस्थित थे। कमीशनिंग के समय आपके उक्त दोनो प्रतिनिधियों द्वारा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था। यह प्रक्रिया सभी उम्मीदवारों/उनके प्रतिनिधियों की संतुष्टि के साथ मेरी उपस्थिति में पूरी हुई। हाई रेट मोक पोल व कमीशनिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मेरे हस्ताक्षर और आपके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अंतर्गत सीलबंद की गई थीं। (Annexure-IX, X & XI)

Xii- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पुनः आपके उक्त दोनो प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में स्टोर की गई थीं।

Xiii- इसके अतिरिक्त, मेरे पत्र सं. 905 दिनांक 02.10.2024 के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और पोलिंग पार्टियों के प्रेषण (डिस्पर्सल) के दिन स्ट्रांग रूम खोलने के कार्यक्रम के बारे में आपको लिखित रूप से सूचित किया गया था। (Annexure-XII)

Xiv- बैलट यूनिटों (बीयू) और कंट्रोल यूनिट (सीयू) के सभी एड्रेस टैग सील के साथ अक्षत थे और उस समय आपके प्रतिनिधियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की संरक्षा और सुरक्षा के बारे में कोई भी मुद्दा/चिंता व्यक्त नहीं की गई थी। इस प्रक्रिया के दौरान सामान्य ऑब्जर्वर श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस, 2006 संवर्ग/बैच भी उपस्थित थे।

Xv- मतदान के दिन, वास्तविक मतदान से पहले, 22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर आपके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मोक पोल आयोजित किया गया था। मोक पोल पूरा होने के प्रमाण पत्र पर आपके पोलिंग एजेंटों द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए थे और मोक पोल प्रक्रिया या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली के बारे में आपके/आपके पोलिंग एजेंटों द्वारा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था।

Xvi- वास्तविक मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न की गई तथा मतदान प्रक्रिया के दौरान आपके पोलिंग एजेंटों द्वारा किसी भी मतदान केन्द्र पर आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

Xvii- वास्तविक मतदान पूरा होने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को आपके पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा सीलबंद कर दिया गया था और उस समय भी मतदान प्रक्रिया और ईवीएम की कार्यप्रणाली पर आपके/आपके प्रतिनिधियों से कोई शिकायत/मुद्दा प्राप्त नहीं हुआ था।

Xviii- मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग पार्टियों द्वारा अभिज्ञात लोकेशनों पर जमा कर दी गई थीं और उसके बारे में आपको काफी समय रहते बता दिया गया था। स्ट्रांग रूम के लॉग रजिस्टर के अनुसार, मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आपकी उपस्थिति में/आपके एजेन्ट/प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र सिंह और सामान्य ऑब्जर्वर श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम में दिनांक 06.10.2024 को 12:28 AM स्टोर की गई थीं और उन सबकी उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को बंद भी किया गया था। उस समय भी आप व आपके प्रतिनिधियों की ओर से कोई शिकायत या मुद्दा नहीं उठाया गया था। (Annexure-XIII)

xix- फॉर्म 17ए और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा (Scrutiny) दिनांक 06.10.2024 को प्रातः 11:00 बजे लाईब्रेरी हॉल डी.ए.वी (पी.जी) कॉलेज, करनाल में श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस, सामान्य ऑब्जर्वर व विभिन्न राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पूर्ण की गई थी। (Annexure-XIV & XV)

XX- दिनांक 06.10.2024 को स्ट्रांग रूम बंद होने के बाद से दिनांक 08.10.2024 को मतगणना की तिथि तक मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी गई थीं, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस की सुरक्षा में था। अधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही के लिए सख्त प्रोटोकॉल का पालन किया गया था और लॉग रजिस्टर की प्रविष्टियों में रोजाना आपके प्रतिनिधियों के दौरे (विजिट) को दर्शाया गया है, जिन्होंने स्ट्रांग रूम में आवाजाही पर नियमित रूप से नजर बनाए रखी। न तो आपने और न ही आपके प्रतिनिधियों ने अधोहस्ताक्षरी या किसी एआरओ के पास कोई मुद्दा/शिकायत उठाई/दर्ज की।

XXi- मतों की गणना के लिए नियत दिन मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के स्ट्रांग रूम को दिनांक 08.10.2024 को प्रातः 07:15 पर खोला गया था। स्ट्रांग रूम खोलने के दौरान भी आपके प्रतिनिधि और सामान्य ऑब्जर्वर श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस भी मौजूद थे। लॉग रजिस्टर पर हस्ताक्षर लिए गए थे। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई।

उस समय भी, आपने/आपके प्रतिनिधि ने मतयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और संरक्षा पर कोई चिंता व्यक्त नहीं की/कोई मुद्दा नहीं उठाया।

XXii- इसके अलावा, आपके द्वारा नामित काउंटिंग एजेंट मतगणना की पूरी प्रक्रिया के पूरी होने तक मतगणना हॉल में मौजूद रहे थे। मतगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी EVM के नंबर मिस मैच होने का कोई उदाहरण सामने नहीं आया। किसी अन्य उम्मीदवार/एजेंट ने ऐसी कोई घटना नोटिस नहीं की। आप द्वारा भी ऐसी कोई तथ्यात्मक सूचना मतगणना के समय अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। अतः इस बारे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

"मतगणना उपरांत संवीक्षा" भी दिनांक 08.10.2024 को उम्मीदवार/उनके प्रतिनिधि और सामान्य ऑब्जर्वर श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस की उपस्थिति में की गई। उस दौरान भी आप व आपके प्रतिनिधियों द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई।

XXiii- उपर्युक्त अवसरों के अतिरिक्त भी समय-समय पर मैंने इंडियन नैशनल कांग्रेस सहित समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की हैं तथा उनके साथ उपयुक्त सूचनाएं साझा की हैं। तिथिवार इन सभी बैठकों के कार्यवृत्त और उनमें आपके दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति का ब्यौरा संलग्न है।

XXiv- इसके अलावा, प्रथम स्तरीय जांच के समय, सभी Randomized इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सूची डीईओ द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी। प्रत्येक चरण में स्ट्रांग रूम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आवाजाही के समय आप या आपके प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं।

XXv-इसके अलावा, वर्ष 2023 की रिट याचिका (सिविल) सं. 434 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 26.04.2024 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग ने पत्र सं. 51/8/अनुदेश/2024-ईएमएस, दिनांक 01.06.2024 में समाविष्ट. अपने अनुदेशों के जरिए प्रशासनिक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्दिष्ट की है जिसमें जांच की जाने वाली यूनिटों को बाहर निकालने की आवेदन प्रक्रिया, प्रोटोकॉल तथा ईवीएम यूनिट (बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट) की बर्न्ट मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की मतगणना उपरांत जांच और सत्यापन, प्रलेखन कार्य, आदि के लिए संरक्षोपाय एवं प्रोटोकॉल वर्णित किए गए हैं। उक्त अनुदेशों के पैरा 3(सी) में दी गई समय-सीमा के

अनुसार, पात्र उम्मीदवार परिणाम की घोषणा की तारीख से 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर संबंधित डीईओ से लिखित अनुरोध कर सकते हैं।

Issue regarding Battery level of many EVMs around 99%:

XXVi- बैटरी पैक के ऊपर 99% चार्ज दर्शित (डिस्प्ले) होना:- जहां तक कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले में बैटरी की स्थिति का 99% प्रदर्शित होने का प्रश्न है, इस संदर्भ में आपको अवगत करवाया जाता है कि कंट्रोल यूनिट में बैटरी कमीशनिंग के दौरान उम्मीदवारों की उपस्थिति में डालकर सीलबंद की जाती है तथा उनके व उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। हस्ताक्षर उम्मीदवार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किसी भी चरण पर चैक किए जा सकते हैं, इसलिए इससे छेड़छाड़ करना असंभव है। ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में एल्कालाइन बैटरी का उपयोग होता है। यह बैटरी कंट्रोल यूनिट के साथ 04 बैलेट यूनिट लगाने पर भी 2000 वोटों तक के लिए सक्षम होती है तथा यह उच्च गुणवत्ता की बैटरी होती है। नए पावर पैक की प्रारम्भिक वोल्टेज लगभग 7.4 से 8.0 वोल्ट तक होती है तथा इसकी पावर खपत बहुत कम होती है। वोल्टेज के 7.4 के ऊपर होने पर बैटरी की क्षमता 99% प्रदर्शित होती है। उपयोग के साथ बैटरी की क्षमता और परिणामी वोल्टेज कम होता जाता है। जैसे ही वोल्टेज 7.4 से कम होता है, बैटरी की वास्तविक उपलब्ध क्षमता यानि 98% से नीचे प्रदर्शित होने लगती है। बैटरी में 5.8 से अधिक वोल्ट रहने पर कंट्रोल यूनिट कार्यरत रहती है। डिस्प्ले में प्रदर्शित प्रतिशत, कंट्रोल यूनिट पर किए गए मोक पोल, वास्तविक पोल तथा बैटरी की प्रारम्भिक वोल्टेज पर निर्भर होती है जो विभिन्न मतदान केन्द्रों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में भिन्न-भिन्न हो सकती है। परन्तु इससे EVM में उपलब्ध डाटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा यह मशीन द्वारा दिखाये गये परिणाम को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त आप द्वारा मतगणना के समय ऐसा कोई भी मुद्दा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया गया जिससे इसकी जांच उसी समय की जा सके। किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था। अतः बैटरी 99% होने के कारण EVM से छेड़छाड़ की आशंका निराधार, बेबुनियाद व अतार्किक है।

XXvii- यह दोहराया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को सख्त प्रोटोकॉल और हर समय केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), पुलिस आदि के सुरक्षा कवर में रखा गया है। अन्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों/प्रतिनिधियों के साथ आप/आपके अधिकृत एजेंट ईवीएम हैंडलिंग के प्रत्येक चरण - बैटरी सेक्शन को सीलबंद करने के

समय से शुरू करके उन्हें वापस स्ट्रांग रूम में स्टोर करने तक, मतदान के दिन उन्हें बाहर निकालने के समय, पूरे मतदान के दिन, मतदान बंद होने के समय सीलबंद करने, उन्हें पुनः मतदान केंद्रों से ढोकर स्ट्रांग रूम में ले जाने, मतगणना के दिन उन्हें सभी अक्षुण्ण मुहरों (सील) के साथ बाहर लाने तक - में शामिल थे।

XXviii- जहां तक रुझानों/चुनाव परिणामों को धीमी गति से अपडेट किए जाने की बात का संबंध है, यह बताया जाता है कि डाक मतपत्रों की गणना का कार्य सुबह 8 बजे और ईवीएम में दर्ज मतों की गणना का कार्य अपने नियत समय सुबह 8.30 बजे शुरू कर दिया गया था। तदुपरांत मतगणना बेरोकटोक जारी रही और मतगणना एजेंटों और ऑब्जर्वर की पुष्टि के बाद ही चुनाव परिणाम अपलोड किए गए।

XXix- इन सबके अलावा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 22-घरौण्डा में श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस. सामान्य ऑब्जर्वर सहित पुलिस ऑब्जर्वर व व्यय ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे। सभी के कांटैक्ट नं. सभी उम्मीदवारों को उपलब्ध कराए गए थे। सभी प्रक्रियाएं ऑब्जर्वर की निगरानी में पूरी की गईं। आपके उम्मीदवारों/एजेंटों द्वारा ऑब्जर्वर के समक्ष भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

14. उल्लेखनीय है कि रिटर्निंग अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आयोग के Guidelines का पूरी तरह से अध्ययन किया है। आयोग के निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के साथ नियमित रूप से संवाद किया है और उन्हें प्रत्येक चरण की सूचना लिखित रूप में, उनसे मिली पावतियों के साथ, दी है। जब कभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा कोई मुद्दा उठाया गया, तो उसका विद्यमान उपबंधों और आयोग के अनुदेशों के अनुसार तुरंत निराकरण किया। पुनः आपकी शिकायत में उल्लिखित सभी बिंदुओं पर तथ्य आधारित पड़ताल की गई जिसमें आपके द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार एवं तथ्यहीन पाए गए। यहां पुनः अवगत कराना है कि -

- (i) प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी), प्रथम चरण के Randomization, द्वितीय चरण के Randomization की गई थी, जिसमें आपकी पार्टी के श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।
- (ii) फिर चुनाव से कुछ दिन पहले ईवीएम की कमीशनिंग की गई थी, जिसमें आप द्वारा प्राधिकृत आपकी पार्टी के प्रतिनिधि श्री गौरव पंवार व श्री जितेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।

h.

(iii) बैटरी लगाने के पश्चात उसके एड्रेस टैग में उम्मीदवारों के एजेंटों के हस्ताक्षर करवाये गए, जिसमें आपकी पार्टी के प्रतिनिधि श्री गौरव पंवार व श्री जितेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।

(iv) तत्पश्चात स्ट्रांग रूम में उनका भंडारण किया गया, जिसमें आपकी पार्टी के प्रतिनिधि श्री गौरव पंवार व श्री जितेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।

(v) वितरण केन्द्र से पोलिंग पार्टियों को कमीशन की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें वितरित की गई। उस दौरान आपकी पार्टी के प्रतिनिधि श्री शुभम कालरा व श्री जितेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।

(vi) पोलिंग पार्टियों को मतदान केन्द्रों तक पहुंचाने बारे सुनिश्चित किया गया। उस समय भी आपकी पार्टी के प्रतिनिधि श्री शुभम कालरा व श्री जितेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।

(vii) मतदान वाले दिन मतदान से पहले मोक पोल करने, पूरे दिन मतदान होने, मतदान के पश्चात क्लोज का बटन दबाने, मतदान के दौरान कितनी वोटिंग हुई उसका हिसाब पोलिंग एजेंट को देने, मतदान के बाद ईवीएम को सीलबंद करने तथा उस पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर लेने संबंधी प्रक्रिया की गई।


(viii) तदुपरांत ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक ले जाकर स्ट्रांग रूम में जमा कराने तथा स्ट्रांग रूम को सीलबंद करने बारे पूर्ण प्रक्रिया की गई, जिसमें आपकी पार्टी के प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र सिंह व श्री दलीप शर्मा उपस्थित रहे।

(ix) फिर मतगणना वाले दिन स्ट्रांग रूम को खोलने, ईवीएम को काउंटिंग हॉल में लाने, मतगणना करने से पहले ईवीएम की सील चैक करने तथा पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर सत्यापित करने, मतगणना के दौरान प्रत्येक चक्र में फॉर्म-17ग से ईवीएम में पड़े मतों का मिलान करने, चक्रवार परिणाम घोषित करने संबंधी पूर्ण प्रक्रिया की गई। जोकि उक्त पूर्ण प्रक्रिया के दौरान आप स्वयं व आपके मतगणना एजेन्ट भी उपस्थित रहे।

अतः इन सभी प्रक्रियाओं में आप या आपके द्वारा नामित प्रतिनिधि लगातार उपस्थित रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इन समस्त प्रक्रियाओं की केन्द्रीय ऑब्जर्वर, सेक्टर अधिकारियों द्वारा निरंतर मॉनीटरिंग की गई है तथा ये सभी प्रक्रियाएं वीडियोग्राफी/सीसीटीवी कवरेज/लॉग बुक/रजिस्टर में प्रविष्टियों के अंतर्गत कवर की गई हैं। जैसा की उपर बताया गया है, ई.वी.एम की एफ.एल.सी. प्रक्रिया के दौरान नई बैटरी डालने, बैटरी सैक्शन को सील करने से लेकर मतगणना के दिन सभी सीलो की सलामती सुनिश्चित करने तक आप अथवा आपके प्रतिनिधि सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहे। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़,

हेर-फेर अथवा जोड़-तोड़ सर्वथा असंभव है। इसलिए, आपके द्वारा लगाए गए आरोप वेबुनियाम, तथ्यहीन और बाद में उत्पन्न विचार (ऑफ़रथॉट) से प्रेरित प्रतीत होते हैं और मिथ्या नैरेटिव गढ़ने की भावना से ग्रसित प्रतीत होते हैं।

इसके बावजूद, यदि आप मेरे द्वारा दिए गए इस प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम उच्च न्यायालय के समक्ष निर्वाचन याचिका द्वारा चुनाव को चुनौती देने का विकल्प उपलब्ध है।



रिटनिंग अधिकारी,

22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उपमण्डल अधिकारी (ना0) घरौण्डा ।

पृ0 क्रमांक: 1044

दिनांक: 29-10-2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, करनाल ।



रिटनिंग अधिकारी,

22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उपमण्डल अधिकारी (ना0) घरौण्डा ।



DISTRICT ELECTION OFFICE, KARNA

जिला निर्वाचन कार्यालय, करनाल



पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/ 1562 दिनांक 29-07-2024

सेवा में,

जिला के सभी मान्यता प्राप्त
राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव।

विषय:- ईवीएम मशीनो का प्रथम लेवल चैकिंग (FLC) बारे ।

उपरोक्त विषय पर आपको लिखा जाता है कि दिनांक 01.08.2024 को प्रातः 10:00 बजे ईवीएम (बी0यू0) का भौतिक निरीक्षण बैल इंजिनियरों द्वारा जिला वेयर हाउस कार्यालय मार्किटिंग बोर्ड, नई अनाज मण्डी, करनाल में आरम्भ किया जाएगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम (बी0यू0) मशीनो के भौतिक निरीक्षण बारे जिला वेयर हाउस कार्यालय मार्किटिंग बोर्ड, नई अनाज मण्डी, करनाल में भाग लेने का कष्ट करें।

[Handwritten Signature]
Joginder Lambhri
30/7/24

[Handwritten Signature]
कृते:- उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
करनाल ।

[Handwritten Signature]
AAP
30/7/24

[Handwritten Signature]
DNER
30/7/24

[Handwritten Signature]
JJP-
30/7/24

[Handwritten Signature]
BJP

[Handwritten Signature]
B.S.P
30/7/24

(Attendance Register for National and State Recognized Political Parties-
EVMs, VVPATs and Auction Hall, Karnal)

Name of State/UT: Haryana

Name of District: Karnal

EVMs, VVPATs and Auction Hall, Karnal

Date 01.08.2024
(morning)

Sr. No.	Name of National/ State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks
1)	BJP	Deepak Kumar 7988834840		Deepak Kumar	—
2)	JJP	मिनाक्षी बि 9813957028			—
3)	Congress	RAJINDER 7027786082		Rajinder	—
4)	BJP	Harshaw Singh 9354104132		Harshaw Singh	—
5)					
6)					
7)					
8)					

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

(Signature)

Name of FLC-Supervisor SHOBHAM

Designation Dy. DEO

11
आज दिनांक 04/08/2024 को ERM मशीनों की FLC करवाने हेतु निम्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों/अधिकारियों की उपस्थिति में ERM Warehouse को open किया गया।

Opening Time :-

Closing Time :-

Deepak Kumar
BJP

मन्दीर 4121

J.J.P

Harbans Singh BSP
9354104132

Conform (Rajput)

आज दिनांक 04/08/2024 को ERM मशीनों की FLC करवाने हेतु निम्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों/अधिकारियों की उपस्थिति में ERM Warehouse को Close किया गया।

Closing Time :- 7:10 pm

Harbans Singh BSP
Deepak Kumar
BJP

मन्दीर 4121

J.J.P

Harbans Singh BSP
9354104132

Conform (Rajput)

2015

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognized Political Parties-
EVMs, VVPATs and Auction Hall, Karnal)

Name of State/UT: Haryana

Name of District: Karnal

EVMs, VVPATs and Auction Hall, Karnal

Date: 04.08.2024

Sr. No.	Name of National/ State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
1)	BJP	Deepak Kumar 7988831840		Deepak Kumar	-
2)	J.J.P	मिनाकृष्ण			-
3)	B.J.P.	Harbans Singh 9354104132			
4)	Congress	7027786087		Raj	
5)					
6)					
7)					
8)					

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

(Signature)

Name of FLC-Supervisor

Designation

SHUBHAM

Dy. DEO

आज दिनांक 05/08/2024 को EVM मशीन को FLC अंतर्गत
नया राजनैतिक दलों को प्रशिक्षण / अभ्यास और उपस्थिति
EVM wash house को open किया गया

opening Time 9:35 Am

E. Aest ~~5/8/2024~~

ET

Ref Jeyan 10-11 AM
Conyach

~~5/8/2024~~
Nashant Sup. BJS

आज दिनांक 05/08/2024 को EVM मशीन को FLC अंतर्गत
नया राजनैतिक दलों को प्रशिक्षण / अभ्यास और उपस्थिति
EVM wash house को Close किया गया

Closing Time! - 7:25 PM

E. Aest ~~5/8/2024~~

ET

Nashant Sup. BJS

~~5/8/2024~~
HAP

(Attendance Register for National and State Recognized Political Parties-
EVMs, VVPATs and Auction Hall, Karnal)

Name of State/UT: Haryana

Name of District: Karnal

EVMs, VVPATs and Auction Hall, Karnal

Date: 05/08/2024

Sr. No.	Name of National/ State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
1)	J.S.P	मनोहर 24121			
2)	Congress A. Jindal	Refined Kaur			
3)	BJP	Adv. Harbans Singh 9354104132			
4)					
5)					
6)					
7)					
8)					

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

(Signature)

Name of FLC-Supervisor ... SHUBHAM

Designation ... Dy. DED

आज दिनांक 08/08/2024 को EVM मशीनों की FLC अंश में
निम्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों / अधिकारियों की उपस्थिति
में EVM Warehouse को Open किया गया।

Opening Times :- 9:41 AM

E. Asst ~~Signature~~
6/8/2024

~~Signature~~ ET

Vijay Kumar J.T.P.
99910-72794

~~Harsh Singh B.S.P.
9354124132~~

~~Signature~~ AAP

Ramkrishna
B.S.P.
~~Signature~~
8683913565

आज दिनांक 08/08/2024 को EVM मशीनों की FLC अंश में
निम्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों / अधिकारियों की उपस्थिति
में EVM Warehouse को Closed किया गया।

Closing Times :- 7:35 PM

E. Asst ~~Signature~~
6/8/2024

~~Signature~~
B.S.P.
~~Signature~~

Comptroller (Registrar)

~~Harsh Singh B.S.P.
9354124132~~

Vijay J.T.P.
~~Signature~~ AAP
(Comptroller) Registrar

Annexure-3

(Attendance Register for National and State Recognized Political Parties-
EVMs, VVPATs and Auction Hall, Karnal)

Name of State/UT: Haryana

Name of District: Karnal

EVMs, VVPATs and Auction Hall, Karnal

Date... 06/08/2024

Sr. No.	Name of National/ State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
1)	J.J.P	Vijay kumar		Vijay kumar	
2)	INC	Virender Kumar		Virender Kumar	
3)	B.S.P	Ramkrishna		Ramkrishna	
4)	B.J.P	Harsani Singh		Harsani Singh	
5)	CONGRESS	Rajinder		Rajinder	
6)					
7)					
8)					

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

(Signature)

Name of FLC-Supervisor

Designation

Shubham

SHUBHAM

Dy. DEO

8/8/2024 आज दिनांक 08/08/2024 को FLC के कार्य हेतु EPM मशीनों की
FLC अखबार के सम्बन्ध में निम्न राजनैतिक वला के प्रतिनिधियों /
अधिकारियों की उपस्थिति में FLC निवासी हॉल को open किया गया

Opening Time :- 9:20 AM.

E. Aest ~~8/8/2024~~

Congress (Rajnech)

~~8/8/2024~~
Adv. Manoj Singh
B-30

ET
8-8-24

8/8/2024 आज दिनांक 08/08/2024 को FLC के कार्य हेतु EPM मशीनों की FLC
अखबार के सम्बन्ध में निम्न राजनैतिक वला के प्रतिनिधियों / अधिकारियों
की उपस्थिति में FLC निवासी हॉल को closed किया गया

Closing Time :- 7:12 PM

E. Aest ~~8/8/2024~~

Vijay Kumar
J.S.P

Kamleshwar
B.S.P. ~~8/8/24~~

(Attendance Register for National and State Recognized Political Parties-
EVMs, VVPATs and Auction Hall, Karnal)

Name of State/UT: Haryana

Name of District: Karnal

EVMs, VVPATs and Auction Hall, Karnal

Date: 8/8/2024

Sr. No.	Name of National/ State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
1)	BJP.	Adv. Harshwan Singh 9354104132			
2)	AAP.	Sonu Advocate			
3)	Congress	Rajeev			
4)	Vijay Kumar	J.S.P		Vijay Kumar	
5)	Ramkrishna	B.S.P			
6)					
7)					
8)					

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

(Signature)

Name of FLC-Supervisor SHUBHAM

Designation Dy. DEO

15/8/2024 आज दिनांक 15/08/2024 को EVM मशीन का Mock Poll
 अखिल एन एन राजनसिंह दल के प्रतिनिधियों / अधिकारियों
 की उपस्थिति में FLC निलम्बी हॉल में open किया गया

Opening Time: - 10:01 Am Opening Time 10:01 Am

E. Asst ~~15/8/2024~~ Congress
 B.S.P
 Deepak Kumar Rajan

Harshvardhan Singh
 B.S.P
 9354104132
 Ramkrishna
 B.S.P
 8683913565

15/8/2024 आज दिनांक 15/8/2024 को EVM मशीन का Mock
 Poll अखिल एन एन राजनसिंह दल के प्रतिनिधियों / अधिकारियों
 की उपस्थिति में FLC निलम्बी हॉल में Closed किया गया

Closing Time: 7:29 pm

Ramkrishna
 B.S.P
 15/8/24 Adv Harshvardhan Singh
 B.S.P

(Mock Poll Selection Certificate during FLCs of EVMs)

Date. 15/08/2024

Name of State/ UT: Haryana

Name of District: Karnal

Address of Hall:

It is certified that I have been allowed to pick machines (EVMs as well as VVPATs) randomly for the purpose of mock-poll.

Sr. No.	Name of National/ State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
1)	Congress	RASENDER KUMAR		Rajender	
2)	BJP	Deepak Kumar		Deepak Kumar	
3)	B.S.P	Ramkushor		Ram	
4)	BJP	Harobans Singh 9354104132		H Singh	
5)					
6)					
7)					
8)					

(Attendance Register for National and State Recognized Political Parties-
EVMs, VVPATs and Auction Hall, Karnal)

Name of State/UT: Haryana

Name of District: Karnal

EVMs, VVPATs and Auction Hall, Karnal

Date...16/08/24

Sr. No.	Name of National/ State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Identity document No. with date	Signature of representative	Remarks, if any
1)	J.J.P	Sumit Ramah		Sumit Ramah	
2)	Congress	Sh. Chandel		Sh. Chandel	
3)					
4)					
5)					
6)					
7)					
8)					

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

(Signature) 

Name of FLC-Supervisor SHOBHAM

Designation Dy. DEO



DISTRICT ELECTION OFFICE, KARNAL

जिला निर्वाचन कार्यालय, करनाल

Annexure-II

पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/ 1812

दिनांक 30.08.2024

विधानसभा आम चुनाव-2024

तिथि-बद्ध/अति आवश्यक

सेवा में

जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रधान एवं सचिव

विषय: 1st Randomization of EVMs for General Election to Vidhan Sabha 2024 regarding.

उपरोक्त विषय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 256/Randomization/Gen. Elec-2024/3AE-8526, दिनांक 29.08.2024 के सन्दर्भ में।

सन्दर्भित पत्र द्वारा दिए गए निर्देशानुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी Manual of EVMs, Edition-8, 1st Randomization of EVM के अनुसार विधानसभा आम चुनाव 2024 इस जिला के अधीन पडने वाले पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नामतः 19-नीलोखेड़ी(अ.जा.), 20-इन्द्री, 21-करनाल, 22-घरौण्डा व 23-असन्ध में प्रयोग होने वाली ई.वी.एम.(बी.यू./सी.यू./वी.वी.पैट) का राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रथम Randomization करके सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों को आबंटित की जानी है। उक्त पत्र में दिए गए आदेशों की अनुपालना में प्रथम Randomization की प्रक्रिया दिनांक 02.09.2024 (सोमवार) को प्रातः 10:00 बजे कान्फैस हॉल, लघु सचिवालय, सैक्टर-12 करनाल में की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि को लिखित में अधिकृत करते हुए उक्त वर्णित प्रक्रिया में शामिल होने के लिए दिनांक 02.09.2024 (सोमवार) को प्रातः 10:00 बजे कान्फैस हॉल, लघु सचिवालय, सैक्टर-12 करनाल में भेजने का कष्ट करें ताकि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जा सके।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
करनाल।

पृष्ठांकन क्रमांक निर्वाचन 2024/ 1813

दिनांक 30.08.2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को भेजते हुए लिखा जाता है कि वर्णित प्रक्रिया में शामिल हो :-

1. जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों को भेजते हुए अनुरोध है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतानुसार आप अपने विधानसभा सैगमैन्ट से सम्बन्धित ई.वी.एम.(बी.यू./सी.यू./वी.वी.पैट) स्ट्रॉंग रूम को तैयार करके रखें। ताकि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार दिनांक 02.09.2024 को प्रथम रैन्डमाईजेशन के बाद ई.वी.एम. सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के स्ट्रॉंग रूम में सुरक्षित रखी जा सके। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशानुसार स्ट्रॉंग रूम में ई.वी.एम. रखने उपरान्त स्ट्रॉंग रूम को सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबन्ध आप अपने स्तर पर करवाना सुनिश्चित करें।
2. जिला नाज़र, करनाल को निर्देश दिए जाते हैं कि वह जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, करनाल के साथ विचार विमर्श करते हुए प्रथम Randomization हेतु EVM Management System (EMS-2) के लिए लैपटोप/प्रिन्टर व अन्य आवश्यक सामग्री का प्रबन्ध करने का कष्ट करें।





DISTRICT ELECTION OFFICE, KARNAL

जिला निर्वाचन कार्यालय, करनाल

पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/

दिनांक

1. नॉडल अधिकारी, ई.वी.एम एवं कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज, करनाल तथा जिला खजाना अधिकारी, करनाल को भेजते हुए लिखा जाता है कि उक्त प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतानुसार अपनी उपस्थिति में पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।
2. विज्ञापन सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, करनाल।
3. निजी सहायक, उपायुक्त महोदय, करनाल।
4. श्री अमित कुमार,, निर्वाचन कानूनगो एवं ईन्चार्ज ई.वी.एम. को भेजते हुए आदेश दिए जाते हैं कि 1st Randomization of EVM से सम्बन्धित सभी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार समय पर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।
5. A-One Portraits, SCO 38, Secor-4, Panchkula, Haryana, Mob. No. 9463396144 को भेजते हुए लिखा जाता है कि उक्त प्रक्रिया विडियोग्राफी हेतु दिनांक 02.09.2024 को प्रातः 09:00 बजे एक कैमरा जिला निर्वाचन कार्यालय, करनाल में उपलब्ध करवाएँ।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
करनाल।

पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024/ 1814

दिनांक 30.08.2024

इसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित है।

कृते: उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
करनाल।

Letter No 1512 Date 30/8/24

1- Joginder Valmiki Congress ^(15/8/24)
30/8/24

2- Sonu Madan Advocate - 30/8/24 BJP






3- B.S.P. Alok - 30/8/24

4- J.T.P. Hary 30/8/24 -

5- BNLD Anshu 30/8/24

Subject:- 1st Randomization of EVMs for General Election to Vidhan Sabha 2024-reg.

Date 2-09-2024 at 10:00 PM

Sr.No.	Name of Political Party	Name of Political President/Secretary./Representative	Mobil No.	Signature
1.	A.A.P	Sanu Kumar Adv	86071-13000	
2.	B.S.P	Kamleshwar	8683913565	
3.	INLD	Sujit Sarda	9256110048	
4.	B.J.P	Rajbir Sharma	9729030558	
5.	B.J.P.	Hansam Singh	9354104132	
6.				
7.				
8.				
9.				

Election Commission of India

Nirvechan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Detailed First Randomization Report

Date : 02 Sep 2024

User : DEO, Karnal, Haryana
 Report ID : 3.4.3
 Election ID : CEO-SEL/GAC/HR/-/000/102024/01
 State : Haryana
 District : Karnal
 AC/AS No - : 022-Gharaunda

Unit Status : For Election
 Election Type : General AC
 Scheduled Date : 02-09-2024 10:00:00
 Execution Date : 02-09-2024 10:39:31
 Randomization : NORMAL FIRST

S.No.	BU Box No.	Unit ID (BU)	CU Box No.	Unit ID (CU)	Unit ID (VVPAT)
1	185	BBUEQ23300	29	BCUEK65455	BVTEQ48363
2	13	BBUEQ26383	63	BCUEK27452	BVTEQ49639
3	127	BBUAE20888	119	BCUEK67480	BVTEQ41287
4	85	BBUAE27822	46	BCUEK26896	BVTEQ48318
5	176	BBUAE39416	54	BCUEK29741	BVTEQ41865
6	93	BBUAE41928	9	BCUEK27462	BVTEI47219
7	222	BBUAE46822	24	BCUEK29323	BVTEQ43946
8	144	BBUEQ23488	140	BCUEK24265	BVTEQ49035
9	2	BBUEQ26402	3	BCUEK29710	BVTEQ43795
10	94	BBUAE20229	112	BCUEK26951	BVTEQ49605
11	115	BBUAE22411	126	BCUEK60603	BVTEQ41216
12	27	BBUEQ23465	22	BCUEK26538	BVTEQ49888
13	76	BBUEQ29742	56	BCUEK27937	BVTEQ49191
14	235	BBUEQ24175	42	BCUEK27310	BVTEH87006
15	192	BBUAE40300	10	BCUEK27263	BVTEQ42064



DISTRICT ELECTION OFFICE, KARNAL

जिला निर्वाचन कार्यालय, करनाल

पत्र क्रमांक निर्वाचन-2024 / २०४ / दिनांक २०.०९.२५

सेवा मे

जिला के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी

विषय:

1st supplementary Randomization and 2nd Randomization of EVMs for General Election to Haryana Vidhan Sabha 2024 – regarding.

उपरोक्त विषय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा के पत्र क्रमांक 256/Randomization/Gen. Elec/2024/3AE-9936, दिनांक 17.09.2024 (प्रति सलंगन) के सन्दर्भ में ।

सन्दर्भित पत्र द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के दौरान इस जिला के अधीन पड़ने वाले पांचो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों नामतः 19--नीलोखेडी(अ.जा), 20--इन्द्री, 21--करनाल, 22--घरौण्डा, 23--असन्ध में प्रयोग होने वाली ई.वी.एम. (बी.यू./सी.यू./वी.वी.पैट) का मांगनीय केन्द्रीय पर्यवेक्षकों तथा राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों/चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों या उनके चुनाव एजेंटों की उपस्थिति में 2nd Randomization दिनांक 24-09-2024 को प्रातः 10:00 बजे के बाद सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा करवाया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप 2nd Randomization के लिए स्थान व समय निर्धारित करते हुए माननीय केन्द्रीय पर्यवेक्षकों तथा राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों/चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों या उनके चुनाव एजेंटों को सूचित करते हुए इस कार्यालय को भी अवगत करवाने का कष्ट करें।

कृते:- उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
करनाल।

20-9-24

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक टूँ उपायुक्त, करनाल ।
2. स्टैनो टूँ नगराधीश, करनाल ।



Attendance Sheet for 2nd Randomization of EVMs- 22-Gharaunda Assembly Segment
(Date:24-09-2024)

Sr.No.	Name	Party Name	Mobile no.	Signature
1	Rajendra Singh	Congress	9992012575	<i>[Signature]</i>
2	Nitin Bhardwaj	Am Admi Party	9255211767	<i>[Signature]</i>
3	Abhishek Sharma	Am Admi Party	92155-35155	<i>[Signature]</i>
4	Wicky	विकासवादी पार्टी	7876750055	<i>[Signature]</i>
5	PARDEEP KUMAR	INDEPENDENT	7988909088	<i>[Signature]</i>
6	MADHUR RATHOD	BJP	8056031111	<i>[Signature]</i>
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



Returning Officer,
22-Gharaunda Assembly Constituency-cum-
Sub Divisional Officer (C), Gharaunda
Ph. No. 01748-250200, E-mail address-sdm.gharaunda-hry@gov.in

सेवा में

22-घरौण्डा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के
सभी उम्मीदवार/एजेन्ट व राजनैतिक दलो के प्रधान/सचिव/प्रतिनिधि ।

कमांक: 431

दिनांक: 21.09.2024

विषय:-

Intimation of 2nd EVM Randomization Scheduled on 24th
September 2024.

उपरोक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार व उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, करनाल के पत्र कमांक निर्वाचन-2024/2087 दिनांक 20.09.2024 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि सामान्य ऑब्जर्वर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24.09.2024 को दोपहर 12:00 बजे कॉन्फेस हाल, लघु सचिवालय, करनाल में EVM मशीनों की 2nd Randomization की जानी है।

अतः इस संबंध में 22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवार/एजेन्ट व राजनैतिक दलो के प्रधान/सचिव/प्रतिनिधि दिनांक 24.09.2024 को दोपहर 12:00 बजे कॉन्फेस हाल, लघु सचिवालय, करनाल में EVM मशीनों की 2nd Randomization प्रक्रिया में समय पर उपस्थिति होने का कष्ट करे।

रिटर्निंग अधिकारी,

22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उपमण्डल अधिकारी (नाO), घरौण्डा।

दिनांक: 21.09.2024

पृ0कमांक: 432

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सामान्य ऑब्जर्वर महोदय, घरौण्डा।
2. उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, करनाल।




रिटर्निंग अधिकारी,

22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उपमण्डल अधिकारी (नाO), घरौण्डा।

Annexure-V

विषय:- दिनांक 24.09.2024 दोपहर 12:00 बजे ई.वी.एम मशीनो की द्वितीय रेंडामाईजेशन की कार्यवाही।

दिनांक 24.09.2024 दोपहर 12:00 बजे कॉन्फ्रेस हाल, लघु सचिवालय, करनाल मे श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस, जनरल ऑब्जर्वर 22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की देख-रेख मे ई. वी.एम मशीनो की द्वितीय रेंडामाईजेशन सम्पन्न हुई। इस दौरान 22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्न उम्मीदवार/एजेन्ट व राजनैतिक दलो के प्रधान/सचिव/प्रतिनिधि मौजूद रहे।

नाम	पार्टी का नाम	मोबाईल न0	हस्ताक्षर
1. Rajender Singh	Congress	9812171575 9992012575	
2. Abhishek Sharma	Aam Aadmi Party	9215535155	
3. Nitish	Aam Aadmi Party	9255271767	
4. Vicky	जन श्रेयक पार्टी	7876750055	Vicky
5. प्रदीप कुमार	निदलीय	7988908088	Pradeep Kumar
6. Madhur Pathol	BJP.	8056031111	Madhur

Attendance Sheet

विधानसभा आम चुनाव-2024 के सम्बन्ध में उम्मीदवारों/एजेन्ट व राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव/प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग दिनांक 24.09.2024 प्रातः 11:00 बजे।

Sr. No.	Name	Name of Party	Mobile No. & Email ID	Signature
1	Madhur Rathod	BJP.	8056031111 rathodmadhur@gmail.com	
2	Mahavir Sharma	Sam Aardrai Party	9487508134	
3	Rajesh Kumar	INDEPENDENT	7404487400	
4	Puneer Kharan	INLD	9813146219	
5	Abhishek Gupta	JNC	9991333381	
6	Vicky	J.S.K.P	7876750055	
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Detailed Second Randomization Report

Date : 24 Sep 2024

User : RO Assembly Constituency, Karnal, Haryana
 Report ID : 3.5.3
 Election ID : CEO-SEL/GAC/HR/1000/102024/01
 State : Haryana
 District : Karnal
 AC/AS No - : 022 - Gharaunda

Unit Status : Reserve
 Election Type : General AC
 Scheduled Date : 24-09-2024 10:00:00
 Execution Date : 24-09-2024 12:18:01
 Randomization : NORMAL SECOND

S.No.	PS No.	PS Name	BU Box No.	Unit ID (BU)	CU Box No.	Unit ID (CU)	Unit ID (VVPAT)
71	NA	Reserve					BVTEQ43752
72	NA	Reserve					BVTEQ45176
73	NA	Reserve					BVTEQ41346
74	NA	Reserve					BVTEQ49937
75	NA	Reserve					BVTEQ44465

1.) *AK*
 9034055556
 BSP

4.) *Wicky*
 J.S.K.P
 7876750055

7.) *Subh*
 SHUBHAM
 KALIA

2.) *Ravinder*
 90347-19000
 Jan Sewak Kshatri Party

5.) *Mitish*
 AAP
 9255271767
Anam

8.) *Suresh Kumar*
 S.V.L.O
 9953023913

3.) *Jyoti Singh*
 9896750282
 Congress Party

6.) *AJ*
 881806713
 A.S.P. J.S.P

9.) *Vishal*
 9812290505
 Independent

*** End of the Report ***

Madhu

Raj

Wicky



Returning Officer,
22-Gharaunda Assembly Constituency-cum-
Sub Divisional Officer (C), Gharaunda
Ph. No. 01748-250200, E-mail address-sdm.gharaunda-hry@gov.in

सेवा मे,

22-घरौण्डा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के
सभी उम्मीदवार/एजेन्ट व राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव/प्रतिनिधि ।

क्रमांक: 610

दिनांक: 24.09.2024

विषय:- विधानसभा आम चुनाव-2024 हेतु EVMs की Commissioning बारे ।

.....
उपरोक्त विषय पर विधानसभा आम चुनाव-2024 के संबंध में
22-घरौण्डा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए प्राप्त EVMs की Commissioning का
कार्य दिनांक 25.09.2024 को प्रातः 09:00 बजे डी.ए.वी (पी.जी) कॉलेज, करनाल में
शुरू किया जाना है ।

अतः आप स्वयं या आपका एजेन्ट/प्रतिनिधि EVMs की
Commissioning संबंधी प्रक्रिया में भाग लेने का कष्ट करें ।

रिटर्निंग अधिकारी

22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उपमण्डल अधिकारी (ना0), घरौण्डा ।

दिनांक: 24.09.2024

पृष्ठांकन क्रमांक: 611

इसकी एक प्रति उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, करनाल को
सूचनार्थ प्रेषित है ।

रिटर्निंग अधिकारी

22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उपमण्डल अधिकारी (ना0), घरौण्डा ।

Receiving

Sr No	Name	Party Name	mobile No.	Sign.
1.	PARDEEP KUMAR	INDEPENDENT	7988902088	Pardeep K
2.	BHUPINDER SINGH	INDEPENDENT	9728889257	Bhupinder Singh
3.	Akhishell Sharma	AAP	9215535155	Akhishell
4.	Kaldeep Singh	BJP	9896399885	Kaldeep
5.	Virender Rathore	Congress	9996610000	V Rathore
6.	Kamsham Singh	— IND + BSP —	9050185509	Kamsham



Returning Officer,
22-Gharaunda Assembly Constituency-cum-
Sub Divisional Officer (C), Gharaunda
E-mail ID sdm.gharaunda-hry@gov.in Ph: 01748-250200

सेवा में

22- घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी
उम्मीदवार/एजेंट व राजनैतिक दलों के प्रधान/ सचिव/प्रतिनिधि।

क्रमांक: 779

दिनांक: 27-09-2024

विषय:- High rate mock poll (5%EVMs) regarding.

.....

उपरोक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ़ के निर्देशानुसार 22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ई0वी0एम0 मशीनो की कमीश्रिंग का कार्य चल रहा है। दिनांक 29-09-2024 को प्रातः 11 बजे डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, करनाल के लाईब्रेरी हाल में हाई रेट मोकपोल का कार्य किया जाना है।

अतः आप सभी उम्मीदवार व राजनैतिक दलो के प्रधान/सचिव/प्रतिनिधि उक्त निर्धारित तिथि व समय अनुसार डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, करनाल के लाईब्रेरी हाल में उपस्थित होने का कष्ट करे।

रिटर्निंग अधिकारी,

22- घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उपमण्डल अधिकारी (ना0), घरौण्डा।

दिनांक: 27-09-2024

पू0 क्रमांक: 780

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

है:-

1. सामान्य आब्जर्वर महोदय, घरौण्डा।
2. उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, करनाल।

रिटर्निंग अधिकारी,

22- घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उपमण्डल अधिकारी (ना0), घरौण्डा।



**Returning Officer,
22-Gharaunda Assembly Constituency-cum-
Sub Divisional Officer (C), Gharaunda
E-mail ID sdm.gharaunda-hry@gov.in Ph: 01748-250200**

Subject:- High rate mock poll (5%EVMs) regarding.

उपरोक्त विषय पर आज दिनांक 29-09-2024 को प्रातः 11.00 बजे डी0ए0वी0 (पी0जी0) कालेज, करनाल के लाईब्रेरी हाल में हाई रेट मोकपोल प्रक्रिया का कार्य शुरू किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित उम्मीदवार/एजेंट व राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव/प्रतिनिधि तथा अधिकारीगण उपस्थित रहे। हाई रेट मोकपोल प्रक्रिया का कार्य शुरू करते समय उपस्थित उम्मीदवार/एजेंट व राजनैतिक दलों के प्रधान/सचिव/प्रतिनिधि ने हाई रेट मोकपोल प्रक्रिया हेतु 22- घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कुल 15 मतदान केन्द्र चयनित किये, जो कि भाग न. 10-नलवी कलां, 26-रसूलपुर कलां, 40-फूसगढ, 46 व 47-छपरा खेडा, 66-कैरवाली, 85- मदनपुर, 94-पिंगली, 110-कालरों, 132- बसताडा, 145-फुरलक, 154-घरौण्डा, 181-पनौडी, 208-गगसीना, 244-फरीदपुर है। इस प्रक्रिया के दौरान उक्त प्रत्येक मतदान केन्द्र से सम्बन्धित ई0वी0एम0 मशीनों में भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार 1000-1000 वोट डाली गई। उक्त प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर सभी उपस्थित उम्मीदवार/एजेंट व राजनैतिक दलों के प्रधान/ सचिव/प्रतिनिधि ने इस बारे अपनी संतुष्टि जाहिर की।

क्रमांक	नाम	पार्टी का नाम	मो0 न0	हस्ताक्षर
1.	Jeetender Singh.	Congress	9896750282	
2.	ARSUV	BJP	9034055556	
3.	Wicky	उत्तर प्रदेश काँग्रेस पार्टी	7876750055	
4.	Nitish	AAP	9255271767	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

Vidhan Sabha Election -2024

22-Gharaunda Assembly Constituency

Subject:- Regarding EVMs Commissioning work at DAV (PG) College, Karnal.

Sr. No.	Date	Time	Name	Party Name	Mobile No.	Signature	Remarks
1	26/09/24	4:50 PM	Ganow Panwar	Congress	7018232075	[Signature]	-
2	27/09/24	10:45 AM	Jeetender Singh	Congress	9896750282	[Signature]	-
3	27/09/24	10:45 AM	Ganow Panwar	4	7018232075	[Signature]	-
4	29/09/24	11:00 AM	Ganow Panwar	11	7018232075	[Signature]	-
5	29/9/24	12:5 PM	Wicky	J.S.K.P	7876750055	[Signature]	-
6	04/10/24	11:20 AM	Baljeet Yadav	BJP	9167123649	[Signature]	-
7	04/10/24	12:20 AM	Wicky	J.S.K.P	7876750055	[Signature]	-
8	04/10/24	12:24	Ganow Panwar	J.S.K.P	7404766006	[Signature] (agent)	-
9	04/10/24	12:30	PARDDEEP KUMAR	INDEPENDENT	7989902088	[Signature]	-
10	04/10/24	12:45	SHUBHAM KALIA	CONGRESS	822200/444	[Signature]	-
11	04/10/24	1:20	Jeetender Singh	CONGRESS	9896750282	[Signature]	-
12							



रिटर्निंग अधिकारी,

Annexure-XII

22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उपमण्डल अधिकारी (ना0), घरौण्डा।

(Email- sdm.gharaunda-hry@gov.in Contact. 01748-250200)

8
9
10

सेवा में

22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी
उम्मीदवार/इलैक्शन एजेंट।

क्रमांक 905 दिनांक 02-10-2024

विषय:- चुनाव के सम्बन्ध में होने वाले कार्यों की सूचना बारे।

उपर्युक्त विषय बारे आपको लिखा जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 05-10-2024 को मतदान व 08-10-2024 को मतगणना की जानी है। जिसे बारे दिनांक व समय अनुसार किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा निम्नप्रकार से है:-

क्र0	दिनांक व समय	कार्य का नाम	स्थान
1	04-10-2024 सुबह 08-00 बजे	पोलिंग हेतु स्ट्रांग रूम खोलना।	डी0ए0वी0 (पी0जी0), कॉलेज करनाल।
2	05-10-2024 सायं 08-00 बजे	मतदान उपरान्त स्ट्रांग रूम सील करना।	डी0ए0वी0 (पी0जी0), कॉलेज करनाल।
3	06-10-2024 सुबह 10-00 बजे	सामान्य पर्यवेक्षक महोदय द्वारा मतदान सम्बन्धी दस्तावेजों की जांच पडताल।	लाइब्रेरी हॉल, डी0ए0वी0 (पी0जी0), कॉलेज करनाल।
4	08-10-2024 सुबह 07-00 बजे	मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम खोलना।	डी0ए0वी0 (पी0जी0), कॉलेज करनाल।
5	08-10-2024 सुबह 08-00 बजे	पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना बारे।	लाइब्रेरी हॉल, डी0ए0वी0 (पी0जी0), कॉलेज करनाल।
6	08-10-2024 को मतगणना उपरान्त	VVPAT Slips की जांच व गिनती बारे।	लाइब्रेरी हॉल, डी0ए0वी0 (पी0जी0), कॉलेज करनाल।

अतः आप स्वयं या आपके इलैक्शन एजेंट/प्रतिनिधि उक्त दिनांक व समय अनुसार डी0ए0वी0 (पी0जी0), कॉलेज करनाल में उपस्थित होने का कष्ट करें।

रिटर्निंग अधिकारी,

22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उपमण्डल अधिकारी (ना0), घरौण्डा।

पृ0 क्रमांक 906

दिनांक 02-10-2024







इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सामान्य पर्यवेक्षक महोदय, 22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र।
2. उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, करनाल।

रिटर्निंग अधिकारी,

22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं
उपमण्डल अधिकारी (ना0), घरौण्डा।

Receiving

Sr No	Name	Party Name	Mobile No.	Sign.
1.	Nitin	HAP	9255271767	
2.	Baljeet Yadav	BJP	9167123649	
3.	PARDEEP KUMAR	INDEPENDENT	7988909088	
4.	Vicky	J.S.K.P.	7876750055	
5.	Jeetender Singh.	CONGRESS	9896750282	
6.	Amal	A.S.P, J.S.P	8818060713	
7.	Suresh Kumar	J.N.C.D.	9253023913	Suresh Kumar



रिटर्निंग अधिकारी,
22-घरौण्डा विधानसभा निर्वाचन, क्षेत्र एवं
उपमण्डल अधिकारी (ना0), घरौण्डा।

(Email- sdm.gharaunda-hry@gov.in Contact. 01748-250200)

विषय: मतदान उपरान्त स्ट्रोंग रुम सील करने बारे।

उपरोक्त विषय पर लिखा जाता है कि विधानसभा आम चुनाव-2024 हेतु 22-घरौण्डा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान उपरान्त ई0वी0एम0 मशीनों को रखने के लिए डी0ए0वी0 (पी0जी0) कॉलेज, करनाल में स्ट्रोंग रुम स्थापित किया गया है। जो कि आज दिनांक 06/10/24 को 12:28 am बजे सफलतापूर्वक मतदान उपरान्त 22-घरौण्डा विधानसभा चुनाव से सम्बन्धित सभी ई0वी0एम0 मशीनों को राजनीतिक दलों के प्रधान/सचिव/प्रतिनिधियों के साथ-साथ सम्बन्धित अधिकारियों की उपस्थिति में स्ट्रोंग रुम को सील किया जाना है। इस सम्बन्ध में 22-घरौण्डा विधानसभा चुनाव के लिए बने स्ट्रोंग रुम को सील करने हेतु निम्न उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के प्रधान/सचिव/प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की उपस्थिति रिपोर्ट इस प्रकार है:-

1. Rejendra Singh Congress 9992012575 Rejendra
2. Dilip Sharma 9812171575
3. 5572107842
- 4.

आज दिनांक 06/10/24 को 12:28 am बजे उक्त स्ट्रोंग रुम सीलिंग उपरान्त सुरक्षा बलों को सुपूर्द कर दिया गया।

06.10.24
Gen. of.
22- Gharaunda

06.10.2024
Police Officer
22- Gharaunda

9/12:30 PM
06/10/24
DK Karnal
Likh
11/10/24

06/10/2024
1SP Karnal
Thrup
06.10.24
2174820

Proceedings of the Scrutiny of 17A & Others Documents

The Scrutiny of 17 A of 22-Gharaunda Assembly Constituency is conducted today i.e. 06-10-2024 at 11:00 AM at Library Hall, DAV (PG) College, Karnal in the presence of Candidates/Agents.

The following candidates/Agents were present during the scrutiny-

1. PARDEEP KUMAR INDEPENDENT - 7988902088 Pardeep Chy
2. NAGESH SHARMA AAP - 94164-31780 Nagesh
3. AMAN JOSHI Congress - 9729302857 Aman Joshi
4. Rajesh Singh Congress - 9812171575 Rajesh
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

The following Polling Stations were taken for the scrutiny:-


1.	Complaints received with respect to that polling stations.	No
2.	In all polling station where any complaint of poll rigging malpractices etc. was received by Observer, DEO or RO during the poll process	No
3.	In All polling stations when any significant event (EVM related or otherwise) was reported to the Observer, DEO or RO during poll process	PS- 141
4.	In polling stations where poll take place in the absence of any polling agent or in the presence of the agent of only one candidate	PS No. 21, 70 (No agent at Mock Poll Time)
5.	In polling stations where the number of electors who cast their votes using documents other than EPIC and photo voter slip issued by the commission (i.e. alternative documents) exceeded 25% of the total voters cast in the polling station.	No
6.	In polling stations where more than 10% of such electors who had been identified as a ASD turned up to and voted.	PS- 50 & 111 - 74, 145, 49, 138, 75
7.	In Polling stations where polling percentage in plus 15% or minus 15% than the average polling percentage of that AC say for eg., in a particular AC 60% voter have been cast in all polling stations with polling percentage 75% or more and 45% or less shall be taken up for scrutiny.	Highest % PS = 119.10 Lowest % PS = 39.74.90 74, 75 Li.
8.	In polling Stations, where are atleast 5(Five) tendered voters/challenged reported.	No 98, 179, 236 - Li
9.	In Polling Stations, where Micro Observer has submitted an adverse report.	No


10. other booths →

There was no complaint/demand from the candidates/agents of scrutiny of any polling station.

Signature of Candidate/Agent

1. Pardeep Chy
2. Nagesh
3. Aman Joshi
4. Rajesh Singh


6/10
Returning Officer


6.10.24
General Observer

Vidhan Sabha Election-2024
22-Gharaunda Assembly Constituency

Annexure-XV

Subject: Reg. Scrutiny of 17A Register & other Documents. *date 10.6.2024 at 11:00 AM*

Sr. No.	Name of Candidate/Election Agent/ Representative	Party Name/ Independent	Mobile. No.	Signature	Remarks
1	<i>Rajendra Singh</i>	<i>Congress</i>	<i>9812171575</i> <i>9992012575</i>	<i>Rajendra Singh</i>	
2	<i>NAGESH SHARMA</i>	<i>AAP</i>	<i>94164-31780</i>	<i>Nagesh</i>	
3	<i>Pawan Kumar</i>	<i>Congress</i>	<i>9896674055</i>	<i>Pawan Kumar</i>	
4	<i>Kapil Rana</i>	<i>Congress</i>	<i>9350290470</i>	<i>Kapil</i>	
5	<i>AMAN JOSHI</i>	<i>Congress</i>	<i>9729302852</i>	<i>Amn Joshi</i>	
6	<i>PARDEEP KUMAR</i>	<i>INDEPENDENT</i>	<i>7988902088</i>	<i>Pardeep</i>	
7	<i>VINIT KUMAR</i>	<i>PARDEEP K INDEPENDENT</i>	<i>98121-90505</i>	<i>Vinit</i>	
8					
9					
10					